(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्तः खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य
के–ब्लॉक, विकास भवन, इंद्रप्रस्थएस्टेट,नई दिल्ली–110002

दिल्ली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पार0 एवंजवा0) नियमावली2023पर प्रारूप नियम

अधिसूचना

दिनांक 10 जुलाई, 2023

संख्या फा0. 3(85)/खा0 एवंआपू0/सामाजिक अंकेक्षण/पी एंड सी/2017/ 362 दिल्ली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियमावली, 2023 के नियमों के निम्नलिखित प्रारूपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) की धारा 24, 27 एवं 28 के साथ पठित धारा 40 की उप–धारा (2) के खड (ज) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया गया है तथा एतद् द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है औरएतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर दिल्ली राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली की सरकार द्वारा उक्त नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त कोई भी आपत्ति और सुझाव पर विचार किया जाएगा।

आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हो, तो विशेष आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्यविभाग, के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को भेजे जा सकते हैं।

अध्याय–I

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ**– (1) इन नियमों को दिल्ली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
   (2) येराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
   (3) येशासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं**:– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
   (क) "प्राधिकृत निकाय"का अभिप्राय संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों) से है।
   (ख) "केंद्रीय अधिनियम' का अभिप्राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) से है।
   (ग) "केन्द्र सरकार" का अभिप्राय भारत सरकार से है।
   (घ) "आयुक्त" का अभिप्राय खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आयुक्त से है।
   (ड़) "स्थानीय प्राधिकारी" का अभिप्राय संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों)से है।
   (च) "सामाजिक अंकेक्षण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योजना के नियोजनतथा कार्यान्वियन का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते हैं।

(छ) "राज्य खाद्य आयोग" का अभिप्राय केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित दिल्ली राज्य खाद्य आयोग से है।

(ज) "राज्य सरकार" का अभिप्रायभारत के संविधान के अनुच्छेद 239एएके अंतर्गत नामित तथा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केउपराज्यपाल से है ।

(झ) अपरिभाषित लेकिन इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की संख्या 10) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उन्हें क्रमशः दिया गया है ।

दूसरा अध्याय

पारदर्शिताएवं जवाबदेही

3. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरणः–**

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसेः–

(i) केंद्रीय अधिनियम और नियंत्रण आदेशों की प्रतियां;

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी(एनएफएसए की वेबसाइटfsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in.पर उपलब्ध)

(iii)राशन कार्ड जारी करना (माहवार और वर्षवार जारी करने की संख्या और रद्द करने की संख्या);

(iv) उचित मूल्य की दुकानों की जिलावार एवं सर्किलवार जानकारी;

(v) जिलावार, सर्किलवार, उचित मूल्य दुकानवार संबंधी राशन कार्ड रिपोर्ट;

(vi) राशन सामग्री के आवंटन, डिलीवरी एवं वितरण की मासिक रिपोर्ट

पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है और प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 22) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जा सकती हैं।

(2) पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, अर्थात्: –

(क) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वेबसाइट** – केंद्रीय अधिनियम प्रावधानों के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कि राशन कार्ड, जिला और सर्कलवार एफपीएस जानकारी, आवंटन,डिलीवरी और खाद्य वस्तुओं का वितरण की महत्वपूर्ण जानकारी "एनएफएसए" की वेबसाइटfsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in तथा epos.delhi.gov.in.पर प्रदर्शित की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्रियों के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट में आम जनता द्वारा शिकायत और सुझाव दर्ज करने और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने का भी प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग की निम्नलिखित जानकारी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:–

(i)जिलावार एवंसर्किलवार उचित मूल्य की दुकान (पता, दूरभाष संख्या एवं जीपीएस निर्देशांक);

(ii)जिलावार, सर्किलवारउचित मूल्य की दुकानवार राशन कार्डों की संख्या (राशन कार्डों की संख्या के साथ एफपीएस की संख्या);

(iii) जिलावार उचित मूल्य दुकानवार मासिक आवंटन;

(iv) उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डों की विस्तृत जानकारी (संलग्न–राशन कार्डों की संख्या का एफपीएस–वार विवरणतथा लाभार्थियों का विवरण);

(v) खाद्यान्न का वार्षिक वितरण;

(vi) केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत वस्तुवार पात्रतातथा खाद्यान्न की दरें;

(vii) वास्तविक समय के आधार पर निर्दिष्ट खाद्य सामग्री के आवंटन/डिलीवरीतथा वितरण की मासिक स्थिति;

(viii) विभाग के नियम और अधिनियम तथा

(ix) आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभाग की अन्य जानकारी।

(x) लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उचित रूप से समय पर उपलब्ध कराना।

(ख) **सामाजिक अंकेक्षणः–** सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना एवं क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली का समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण करेगी या कराएगी तथा विभाग की वेबसाइटों

अर्थातfsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.inपर आम जनता के लिए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे और साथ ही हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे।

सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्: –

(i) जिलाधिकारी सरल भाषा में बैठक की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची का उल्लेख करने से कम से कम 30 दिनपूर्वसामाजिक अंकेक्षण बैठक की सूचना देगा।

(ii) संबंधित सर्किल के एफएसआई/एफपीएस स्तर पर सतर्कता समिति के सदस्य सचिव अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्यों की दुकानों के सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु संबंधित राजस्व जिले के जिलाधिकारी के साथ समन्वय करेंगे। जन वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकानवार के अंतर्गत राशन सामग्रियों के आवंटन एवं वितरण से संबंधित अभिलेखों को बैठक आयोजित होने के कम से कम 15 दिन पूर्व उचित दर दुकान के मालिकों द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संबंधित एफएसआई को बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व जिलाधिकारी को सभी प्रासंगिकरिकॉर्ड और जिलाधिकारी द्वारा मांगी गई अन्य सभी जानकारी को उपलब्ध कराना चाहिए।

(iii) संबंधित एफएसआई बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समिति की सभी रिपोर्टों को लाभार्थियों को खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण के संबंध में विधिवत संकलित जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(iv)प्राधिकृत निकाय द्वारा यादृच्छिक आधार पर तय उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में प्राधिकृत निकाय को सामाजिक अंकेक्षण हेतु उचित मूल्य की दुकान के मालिक तथा संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा पिछले छह महीनों के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों) अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य की दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण का संचालन करेंगे। सर्किल खाद्य आपूर्ति निरीक्षक सामाजिक अंकेक्षण बैठकों के सुगमकर्ता और संयोजक होंगे।

(vi) सामाजिक अंकेक्षण की बैठक जिलाधिकारी द्वारा इस संबोधन से आरंभ होगी कि यह क्यों बुलाई गई है, वार्ड निवासी इसमें कैसे भाग ले सकते हैं तथाकैसे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं। जिलाधिकारी लोगों से पीडीएस से संबंधित उनकी समीक्षा/प्रतिक्रिया/शिकायतों के बारे में लोगों से पूछे और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित बैठक के दौरान कर्मचारियों/एफपीएस के मालिक से जवाब मांगे।

(vii) प्राधिकृत निकाय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की बैठक छह माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। बैठक काकार्यवृत्ततथा वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वार्ड निवासी को बैठक के दौरान रिपोर्टों में किसी भी गलत सामग्री पर आपत्ति करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।

(viii) वार्ड की स्थानीय प्राधिकारी की बैठक में दस्तावेजों के अंकेक्षण के पश्चात्, रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा सिफारिश के साथ आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी, जो जिलाधिकारी की रिपोर्ट को विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति के माध्यम से अंचल सहायक आयुक्त,खाद्य एवं आपूर्ति, दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। आयुक्त (खा0 एवं आपू0) रिपोर्ट का अध्ययन करने और जेडएसी के साथ सिफारिशों को अपनाने के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाएगा।

(ix) अंचल सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु की गई कार्रवाई रिपोर्ट विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य,दिल्ली को प्रस्तुत करेगा।

(x) सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टों की जांच के पश्चात्, आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, दिल्ली अंकेक्षण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे तथासामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर की

गई कार्रवाई प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। की गई कार्रवाई रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन (विभाग की वेबसाइट fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

4. **छूटः**– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतुकेंद्रीय सरकार द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार,इन नियमों के प्रावधानों मेंसभी या किसी को छूट प्रदान कर सकती है तथा किसी भी समय ऐसी छूट को रद्द या निलंबित कर सकती है ।

5. **इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षणः** –किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य वैधानिक कार्यवाही किसी भी चीज के लिए नहीं होगी जो इस नियम के अंतर्गतसद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए अभीष्ट हो।

6. **अनुदेशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्तियाँः**– राज्य सरकार या आयुक्त इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवंनवाचारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर आवश्यक आदेशों/अनुदेशोंको जारी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

दिलराज कौर

(डा0 दिलराज कौर)
सचिव–सह–आयुक्त
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग

दिनांक 10/07/2023